No. ULB- H (A) (3)-9/86-III-Vol-II- 11089 -11144
Directorate Urban Development,
Himachal Pradesh

Dated Shimla 25th October, 2013

From

The Director
Urban Development,
Himachal Pradesh

To

The Commissioner,
Municipal Corporation,
Shimla. HP

2 All the Executive Officer/Secretary,
Municipal Council/Nagar Panchayat,
in the State.

Subject: - Regarding H.P. Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2013 and the H.P. Municipal (Amendment) Bill, 2013.

Sir,

Kindly refer to Addl. Secretary(UD) letter No.UD-A(3)-1/2013 dated nil and in continuation to this office letter even No. dated 11-9-2013, on the subject cited above.

Pl. find enclosed herewith a copy of Rajpatra (extra ordinary) dated 25-09-2013 containing therein the H.P. Municipal Corporation, (Amendment) Bill, 2013 & H.P. Municipal (Amendment) Bill, 2013 with the request to implement the provisions of these amended Bill in letter & spirit.

AC
28/11/13
Commissioner
28/11/2013

Encl:- As above.

Yours faithfully,

(Dr. Chand Prakash)
Joint Director.
Urban Development
Himachal Pradesh.

Ends. No. As above Shimla 25th October, 2013

Copy forwarded to :

1. The Addl. Secretary (UD) to the Govt. of HP w.r.t letter referred above for information alongwith ten copies of aforesaid Rajpatra downloaded from the internet as desired pl.
2. All Branch Incharge of this Directorate, for information pl.

Joint Director.
Urban Development
Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2013

राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 26 सितम्बर, 2013 को यथाअनुमोदित।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 27 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 और 426 का संशोधन**.—हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 और 426 में "महापौर, उप–महापौर और" शब्द और चिन्ह, जहां–जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

3. **धारा 14 का संशोधन**.—मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, "महापौर, उप–महापौर और" शब्दों और चिन्हों का लोप किया जाएगा।

4. **धारा 34–क का लोप**.—मूल अधिनियम की धारा 34–क का लोप किया जाएगा।

5. **धारा 36 का संशोधन**.—मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(क) उपधारा (1) और इसके विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(1) निगम अपनी पहली बैठक में और तत्पश्चात् प्रत्येक अढ़ाई वर्ष के अवसान पर, अपने पार्षदों में से किसी एक को निगम का अध्यक्ष, जो महापौर कहलाएगा और अन्य पार्षद को उप–महापौर के रूप में निर्वाचित करेगी :

परन्तु महापौर का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला के लिए चक्रानुक्रम या लॉट द्वारा विहित रीति से आरक्षित रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी वर्ग की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पन्द्रह प्रतिशत से कम हो वहां महापौर का पद उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा।"; और

(ख) उपधारा (2) और इसके विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(2) निगम के महापौर और उप–महापौर की पदावधि, इनके इस रूप में निर्वाचन की तारीख से अढ़ाई वर्ष की होगी, जब तक कि इस बीच वह महापौर या उप–महापौर के रूप में अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देता या जब तक उप–महापौर को महापौर के रूप में निर्वाचित नहीं कर दिया जाता तथा वह अपनी पदावधि के अवसान पर अपने पद पर नहीं रहेगा :

परन्तु यदि महापौर और उप–महापौर का पद रिक्त हो जाता है या अवधि के दौरान मृत्यु, पदत्याग या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है, तो रिक्ति होने के एक मास की अवधि के भीतर, उसी वर्ग से शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा।"।

6. **धारा 37 का अन्तःस्थापन**.—मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"37. **महापौर और उप–महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव**.—(1) महापौर और उप–महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ऐसी प्रक्रिया के अनुसार लाया जा सकेगा, जैसी विहित की जाए।

(2) जहां निगम के महापौर या उप-महापौर से उसके पद को रिक्त करने की अपेक्षा करने के उसके कुल निर्वाचित पार्षदों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प लाने के लिए इस आशय का नोटिस दिया जाता है और यदि उसकी साधारण या विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के बहुमत द्वारा, जिसकी गणपूर्ति इसके निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो वह महापौर या उप-महापौर जिसके विरुद्ध ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रहेगा।

(3) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निगम का महापौर और उप-महापौर ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता, ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी रीति में आयोजित की जाएगी जैसी विहित की जाए तथा व्यक्ति जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसे ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के अधीन अविश्वास प्रस्ताव, उसके ऐसे पद पर निर्वाचन की तारीख से छह मास के भीतर पोषणीय नहीं होगा और कोई पश्चातवर्ती अविश्वास प्रस्ताव, पूर्व अविश्वास प्रस्ताव से छह मास के अन्तराल के भीतर पोषणीय नहीं होगा।"।

7. धारा 46 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु वह ग्रेड में पांच वर्ष के नियमित सेवाकाल को पूर्ण करने के पश्चात् संयुक्त आयुक्त (विधि) के रूप में तथा संयुक्त आयुक्त (विधि) के रूप में कम से कम दो वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने पर अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।"।

8. धारा 54 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"54. महापौर के निर्वाचन के लिए, साधारण निर्वाचन के पश्चात् निगम की प्रथम बैठक.—(1) साधारण निर्वाचन के पश्चात् निगम की प्रथम बैठक यथासम्भव शीघ्र की जाएगी, परन्तु धारा 13 के अधीन पार्षदों के निर्वाचन के परिणामों के प्रकाशन के तीस दिन के अपश्चात् नहीं और निदेशक द्वारा बुलाई जाएगी।

(2) धारा 57 में किसी बात के होते हुए भी महापौर के निर्वाचन के लिए निदेशक, एक पार्षद को बैठक का सभापतित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगा, जो ऐसे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी न हो।

(3) यदि महापौर के निर्वाचन के दौरान यह प्रतीत होता है कि ऐसे किसी निर्वाचन में किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं और मतों में एक मत और जोड़ देने से उन अभ्यर्थियों में से कोई महापौर निर्वाचित होने का हकदार हो जाएगा तो बैठक में सभापतित्व करने वाला व्यक्ति अभ्यर्थियों की उपस्थिति में निकाले जाने वाले लॉट द्वारा और ऐसी रीति से जैसी वह अवधारित करे, उनके बीच विनिश्चय करेगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकलता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ है।"।

9. धारा 56 और 58 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 56 और 58 में "महापौर और उप-महापौर सहित" शब्द और चिन्ह जहां-जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

10. धारा 88 का संशोधन.—(क) खण्ड (क) में, "कर की इकाई क्षेत्र दर द्वारा गुणित करके और विशेष क्षेत्र के लिए विहित सुसंगत कारकों पर आधारित होगा" शब्द जहां-जहां वे आते हैं के स्थान पर "विशेष क्षेत्र के लिए विहित सुसंगत कारकों द्वारा गुणित पर आधारित होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ग) में "इकाई क्षेत्र कर" शब्दों के स्थान पर, "करयोग्य मूल्य" शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 302 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 302 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) जो कोई, इस धारा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो द्वितीय अनुसूची की सारणी में तृतीय स्तम्भ में इस धारा के सामने विनिर्दिष्ट रकम तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय उल्लंघन के लिए, प्रथम अपराध के लिए यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त, वह निगम के प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, विक्षियागाफी के अन्यान कम से कम एक सप्ताह की अवधि के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके प्रश्नगत परिसरों में या उसके आसपास के सार्वजनिक क्षेत्र को साफ करने की सामुदायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उसी अपराध को तीसरी बार और तत्पश्चात् भी करता है, तो निगम, यथास्थिति, आवासीय के साथ–साथ वाणिज्यिक स्थापनों में नागरिक सुख–सुविधाओं, जैसे जल की आपूर्ति, विद्युत का प्रदाय आदि करने से इन्कार कर सकेगा या उन्हें बन्द कर सकेगा।"।

12. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.—मूल अधिनियम से संलग्न द्वितीय अनुसूची की सारणी में,—

(i) स्तम्भ 1 के अधीन, धारा "302, उपधारा (1), (2) और (3)" शब्दों, अंकों और चिन्हों के स्थान पर "धारा 302, उपधारा (1), (2), (3) और (6)" शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ii) स्तम्भ 3 के अधीन "500" अंकों के स्थान पर "5000" अंक रखे जाएंगे; और

(iii) स्तम्भ 4 के अधीन "—" चिन्ह के स्थान पर "100" अंक रखे जाएंगे।

13. 2013 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 48 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2013

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 20TH SEPTEMBER, 2013)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 27th day of July, 2013.

2. **Amendment of sections 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 and 426.**—In sections 7, 8, 13, 16, 20, 31, 33, 55, 60, 63, 64, 404, 422 and 426 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and" wherever they occur shall be omitted.

3. **Amendment of section 14.**—In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), the words and sign "Mayor, Deputy Mayor and" shall be omitted.

4. **Omission of section 34-A.**—Section 34-A of the principal Act shall be omitted.

5. **Amendment of section 36.**—In section 36 of the principal Act.—

(a) for sub-section (1) and the existing provisos, the following sub-section and provisos shall be substituted, namely:—

"(1) The Corporation shall at its first meeting and thereafter at the expiration of every two and half years, elect one of its Councillors to be the Chairperson to be known as the Mayor and another Councillor to be the Deputy Mayor of the Corporation :

Provided that the office of the Mayor shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women, by rotation or by lots in the manner prescribed :

Provided further that where the population of any class of persons referred to in the foregoing proviso is less than fifteen percent of the total population of the Municipal area, the office of the Mayor shall not be reserved for that class." ; and

(b) for sub-section (2) and existing first proviso, the following sub-section and proviso shall be substituted, namely :—

"(2) The term of office of the Mayor and the Deputy Mayor of the Corporation shall be two and half years from the date of his election, as such, unless in the mean time he resigns his office as Mayor or Deputy Mayor or unless in the case of Deputy Mayor is elected as the Mayor and he shall cease to hold his office on the expiry of his term of office :

Provided that if the office of the Mayor or Deputy Mayor is vacated or falls vacant during the tenure on account of death, resignation or no-confidence motion, a fresh election within a period of one month of the vacancy shall be held from the same category, for the remainder period:".

6. **Insertion of section 37.**—After section 36 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

"37. Motion of no confidence against Mayor or Deputy Mayor.—(1) A motion of no confidence against the Mayor or the Deputy Mayor may be made in accordance with the procedure as may be prescribed.

(2) Where a notice of intention to move a resolution requiring the Mayor or the Deputy Mayor of the Corporation to vacate his office, signed by not less than majority of its total elected

Councillors is given and if a motion of no confidence is carried by a resolution passed by a majority of elected Councillors present and voting at its general or special meeting, the quorum of which is not less than one-half of its total elected members, the Mayor or the Deputy Mayor against whom such resolution is passed shall cease to hold office forthwith.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, the Mayor or the Deputy Mayor of the Corporation shall not preside over a meeting in which a motion of no confidence is to be discussed against him. Such meeting shall be presided over by such a person, and convened in such manner, as may be prescribed and the person against whom a motion of no confidence is moved, shall have a right to vote and to take part in the proceedings of such meeting.

(4) Motion of no confidence under this section shall not be maintainable within six months of the date of his election to such office and any subsequent motion of no confidence shall not be maintainable within the interval of six months of the last motion of no confidence."

7. **Amendment of section 46.**—In section 46 of the principal Act, after sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that he shall be designated as Joint Commissioner (Legal) after completion of five years regular service in the grade and Additional Commissioner (Legal), on completion of at least two years regular service as Joint Commissioner (legal)."

8. **Substitution of section 54.**—For section 54 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"54. First meeting of the Corporation after general elections for election of the Mayor.—(1) The first meeting of the Corporation after general elections shall be held as early as possible but not later than thirty days after the publication of the results of the election of the Councillors under section 13 and shall be convened by the Director.

(2) Notwithstanding anything contained in section 57, for election of the Mayor, the Director shall nominate a Councillor who is not a candidate for such election to preside over the meeting.

(3) If during the election of Mayor it appears that there is an equality of votes between the candidates at such election and that the addition of a vote would entitle any of these candidates to be elected as Mayor, then, the person presiding over the meeting shall decide between them by lot to be drawn in the presence of the candidates and in such manner as he may determine, and the candidate on whom the lot falls shall be deemed to have received an additional vote."

9. **Amendment of sections 56 and 58.**—In sections 56 and 58 of the principal Act, the words "including Mayor and Deputy Mayor" wherever they occur shall be omitted.

10. **Amendment of section 88.**—In section 88 of the principal Act,—

(a) in clause (a), the words "unit area rate of tax and" wherever they occur shall be omitted; and

(b) in clause (c), for the words "unit area tax" the words "ratable value" shall be substituted.

11. **Amendment of section 302.**—In section 302 of the principle Act. after sub-section (5) the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(6) Whoever contravens any of the provisions of this section shall be punishable with fine, which may extend to the amount specified against this section in the 3rd column of the table to the SECOND SCHEDULE for first offence, and for second contravention, in addition to the penalty as specified for first offence, he shall be liable to render community service by personally clearing the public area in and around his premises in question under the supervision of authorized officer of the Corporation for not less than a period of one week under videography :

Provided that if such person commits the same offence third time and subsequently, the Corporation may deny or stop the civic amenities like water, electricity etc. in residential as well as commercial establishments, as the case may be."

12. **Amendment of SECOND SCHEDULE.**—In SECOND SCHEDULE appended to the principal Act, in the table,—

(a) under column 1, for the words, figures and signs "Section 302, sub-sections (1), (2), (3)", the words, figures and signs "Section 302, sub-sections (1), (2), (3) and (6)" shall be substituted;

(b) under column 3, for the figures "500", the figures "5000" shall be substituted; and

(c) under column 4, for the sign "—" the figures "100" shall be substituted.

13. **Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2013 and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or any thing done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 25 सितम्बर, 2013

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–25/2013–लेज.—हिमाचल प्रदेश राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20–09–2013 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 25) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 47 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

चिराग भानु सिंह,

सचिव (विधि)।